


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
8-2-18	<p>           पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित            वकील उभयपक्ष ने दीवाने वदम जाहिर            किया कि प्राथमिक पत्र में अंकित विवरित            आशजी से सम्बन्धित एक प्राथमिक पत्र            44/प्रा.पत्र/2013 का स. 51/48/13            के साथ जिक्र था उक्त प्रापत्र में            वकील उभयपक्ष की सहमति से ता.            फैसला मूलका मीठे एवं रिमाई की            यथास्थिति बनाये रखने के आदेश            21-9-2016 को से चुके थे, प्रा.            प्रापत्र 10/2013 एवं प्रापत्र 44/2013            एक ही प्रकार के थे तथा उक्त दोनों            प्रापत्र में विवरित आशजी भी एक ही            ही एक ही प्रकार के थे एवं एक प्रापत्र            में स्थान आदेश चरित होने से दूसरे            प्रापत्र में निर्णय किया जाना निश्चय            विश्व ही उक्त प्रापत्र इन्ही स्तर            पर स्थिर किया जाता है पत्रावली            केमल मुगाए लेकर दायित्व दपार हो।         </p> <p style="text-align: right;">   <b>उपखण्ड अधिकारी लाखरी (पुन्नी)</b> </p>

न्याया  
 मांगीला  
 तहसी  
 67 Ad